

## क्षेत्राधिकार उपनिबन्धक । बरेली

बैनामा अवासीय प्लॉट अर्धनगरिय क्षेत्र जिस पर कोई निर्माण नहीं है शत्रु, नजूल, चर्च, वक्फ, सीलिंग की सम्पत्ति नहीं है विक्रेता वा क्रेता भारतीय है। शासनादेश स. 2756/11-2000-500/ 07 दिनांक 30 जून सन 2008 के अनुसार स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है। सीलिंग से मुक्त है।

बैनामा - -----/- रु. सरकारी मूल्य -----/- रु. स्टाम्प -----/-

मैं कि आधार इंफ्रा होम्स, 183/2, जनकपुरी, बरेली तथा विक्रेता फर्म निबंधक उत्तर प्रदेश के कार्यालय में दिनांक 28/05/2022 ई. को संख्या 00268/2022-2023 पंजीकरण संख्या बी0 ए0 आर 0012089 को पंजीकृत हो चुकी है। के द्वारा अधिकृत हस्ता - गैबन लाल पुत्र श्री चुरी लाल निवासी 179, ग्राम- मोहन पुर उर्फ राम नगर पर0 तह0 व जिला बरेली खुद व बतौर भूमिधरी का हू। विक्रेता तथा फर्म पाटनेर की भीटिंग में पारित प्रस्ताव के अनुसार मुझे मुक्ति को वस्तावेजात को तकमिल कर सम्पत्ति विक्रय करने आदि के पूर्ण अधिकार प्राप्त है। का हू।

जो कि खसरा नम्बर 507 रकबा 0.7740 है0 बाकै ग्राम चन्दपुर बिचपुरी पर0 तह0 व जिला बरेली जिस पर मैं मुक्ति बाहेसियत संक्रमणीय भूमिधर के मालिक हू। तथा मेरा नाम कागजात सरकारी में दर्ज है। तथा फर्म मजूर ने आराजी उपरोक्त का तलपट मानचित्र स0 पी.आर.डी /पी.एच./ 00953 बी0डी0ए0 / एल0 डी0 / 21/22/ 0370/ 04032022 दिनांक 20/07/2021 बरेली विकास प्रधिकरण बरेली से स्वीकृत हो चुका है। जिसमें से आवासीय नम्बर प्लॉट --- जिसका रकबा ----- वर्ग मी0 है। खसरा नम्बर 506/ 507 बाकै ग्राम चन्दपुर बिचपुरी पर0 तह0 व जिला बरेली जिसको फर्म मजूर विक्रय करना चाहती है तथा खरीददार बैनामा हाजा उसे बच करना चाहते है तथा खरीददार बैनामा हाजा ने जो कीमत लगायी है वह फर्म को सवीकार है लिहाजा मैंने खुद व बाहेसियत अधिकृत हस्ता- उक्त फर्म के खूब सोचकर व समझकर स्वेच्छा से शुद्ध व चैतन्य मन से वही आवासिय प्लॉट न0 --- जिसका रकबा --- वर्ग मी0 है खसरा नम्बर 507 --- बाकै ग्राम चन्दपुर बिचपुरी पर0 तह0 व जिला बरेली महदुदा जैल ममलुका मकबुजा मैं मुक्ति व फर्म मजूर जिस पर मैं मुक्ति व फर्म मजूर उपरोक्त विवरण अनुसार मालिक है जो कहीं रहन वक्फ व जमानत व कुर्की सरकारी व गैर सरकारी आदि में नहीं है गर्ज की हर तरफ से पाक व साफ है ऐसा ही इन्मीनान खरिदारान को दिलाकर साथ सब हदूद व हक्क मिराफिक दाखली व खारजी के बिल ऐवज मुबलिंग -----/ रुपये के बदस्त श्री ----- पुत्र श्री ----- निवासी- ग्राम----- पोस्ट ----- बरेली पेन - -----, ----- मो0 -----, ----- के हाथ मिलने कीमत मुनासिब के बैच डाली ओर वय कतई कर दी जरे समन तमाम व कमाल हस्व तफसील जैल पाकर शय मुवैया हाजा पर खरिदारान को मालिकाना काबिज व दखील कर दिया। अब फर्म मजूर व मुझ मुक्ति व वरिसान व कायम मुकामान फर्म मजूर व मुझ मुक्ति का आवासीय प्लॉट मजूर पर कोई हक व मिल्क किसी क्रिम्स का बाकी नहीं रहा ओर न आईन्दा को होगा। वय कामिल तौर पर नाफिज हो गई अदल-बदल हो गई यह शर्त साफ तौर पर करार पाई कि अगर सानिउलहाल कोई सहीम या शरीक हकदार या किलातदार या अन्य जो कोई शख्स पैदा होकर दावा प्लॉट मजूर की बावत करे और उसके दावे से शय मुवैया हाजा का जुज या कुल कब्जा खरिदारान से निकल जावे तो खरिदारान हक मजाज वापसी जरे समन जुज का जुज व कुल का कुल मय हर्जा व खर्चा नुकसान व वापसी की जिम्मेदारी मुझ मुक्ति व फर्म मजूर से रहेगी। विक्रित सम्पत्ति का पूर्व में कोई मुहायदावय बैनामा वसीयतनामा मुखत्त्यारनामा दानपत्र अन्य किसी पक्ष में नहीं किया है विक्रित सम्पत्ति की चौहद्दी में कोई व्यावसायिक/ वाणिजिक गतिविधि विधमान्य नहीं है क्रेता भविष्य में सम्पत्ति पर लागू समस्त कर ( नगर निगम ,सर्विस टैक्स,जी0 एस0 टी0 ,विजली बिल इत्यादि ) देने का पाबन्द खरिदारान रहेगा क्रेतागण स्वीकृत मानचित्र जो बरेली विकास प्रधिकरण बरेली स्वीकृत होगा के अनुसार निर्माण कराने का पाबन्द रहेगा तथा किसी तरह का अनाधिकृत अतिक्रमण जरनेटर आदि घर के बाहर नहीं रखेगा। निर्धारित भूमि दर ---/- रुपये प्रति वर्गमी० है परन्तु विक्रय मु0 -----/ रुपये में रहा है अतः इसी पर स्टाम्प अदा किया गया है लिहाजा यह बैनामा कतई लिख दिया कि सनद हो हदूदअर्वा- प्लॉट न0 --- जिसका रकबा ----- वर्ग मी0 है। खसरा नम्बर 507 बाकै ग्राम चन्दपुर बिचपुरी पर0 तह0 व जिला बरेली

हदूदअर्वा-

पूर्व-

पश्चिम-

उत्तर-

दक्षिण-

पैमाईश- स्लगन नक्शा बैनामा लेखानुसार है

तफसील जरे समन

## घोषणा

हम पक्षकार घोषित करते हैं कि विक्रित सम्पत्ति मूल्यकान सूची के प्रथम भाग क्षेत्राधिकार में वर्णित अर्धनगरिया क्षेत्र के दिये गये सीमांकन के अन्तर्गत स्थित है। विक्रित सम्पत्ति की चिन्हित मार्ग स0 --से से दूरी लगभग -- मीटर है मूल्यकान सूची के पृष्ठ संख्या -- के क्रमांक --के कालम -- में बी0 कोड न0 -- निर्धारित दर के अनुसार गणना कर स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है। प्रलेख में दिये गये विवरण की पूर्ण जिम्मेदारी हम पक्षकारों की होगी। धारा 27 स्टाम्प अधिनियम का पूर्ण पालन किया गया है।

